न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), भदोही–ज्ञानपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–99 सन् 2026

UPSN01001601-2026

शिव कुमार, उम्र त० 36 साल, पुत्र स्व० कैलाशनाथ सरोज, निवासी हिरयांव, थाना भदोही, जिला भदोही। .....आवेदक।

बनाम

विजयभान, उम्र त० 50 साल, पुत्र स्व० फूलचन्द विश्वकर्मा, निवासी हिरयांव, पोस्ट भदोही, थाना भदोही, जिला भदोही। .....अभियुक्त।

29.05.2026

1. पत्रावली पेश हुई। आवेदक शिव कुमार के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

2. आवेदक शिव कुमार द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त पते का रहने वाला तथा अनुसूचित जाति का सरोज (पासी) गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी ने एक किता विक्रय अनुबंध विलेख (विला कब्जा) दिनांक 09.12.2022 को अभियुक्त विजय भान, पुत्र स्व० फूलचंद विश्वकर्मा, निवासी हिरयांव, पोस्ट भदोही, थाना व तहसील भदोही, जिला भदोही से समक्ष गवाहान आनन्द कुमार व श्रीमती लालती विश्वकर्मा कराया था। आराजी संख्या 111 मौजा हरियांव रकवा 0.498 हे० में से रकवा 5 विस्वा सम्पूर्ण वैधानिक अंश का रजिस्टर्ड सट्टा कराया है। अभियुक्त ने प्रार्थी को हानि पहुंचाने की नीयत से धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एवं कराकर अंश से ज्यादा का रजिस्टर्ड सट्टा कर मु० 1,50,000/–रूपये चेक संख्या 000041 बैंक आफ बड़ौदा शाखा जमुनीपुर से दिनांक 08.12.2022 को मु० 1,40,000/–रूपये एवं 10,000/–रूपये नकद प्राप्त करके मियाद तीन साल कर दिया, जब मियाद का समय होने पर व प्रार्थी के पास शेष बकाया मु० 1,50,000/–रूपये व रजिस्ट्री खर्च होने पर प्रार्थी ने अभियुक्त से कई बार रजिस्ट्री करके शेष रूपया देने के लिए कहता रहा, परन्तु अभियुक्त आज कल करके टालता चला आ रहा है। अभियुक्त को नोटिस देकर बैनामा का शेष बकाया रूपया मु० 1,50,000/–रूपये व रजिस्ट्री खर्च लेकर रजिस्ट्री आफिस पर नियत तिथि पर दिन भर प्रार्थी उपस्थित रहा तथा उपस्थिति रसीद कटवाया, किन्तु अभियुक्त बैनामा करने नही आये, इसके अलावा यह पता चला कि उक्त आराजी में अभियुक्त का सम्पूर्ण हिस्सा 5 विस्वा नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त झूठा कथन करके फ्राड करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व कराकर धोखाधड़ी करके प्रार्थी से मु० 1,50,000/–रूपये प्राप्त करके अब बैनामा करने व प्रार्थी का रूपया मु० 1,50,000/–रूपये देने से इंकार कर रहा है। दिनांक 18.03.2026 को समय लगभग 9.00 बजे सुबह प्रार्थी व प्रार्थी के साथ चचेरा भाई आनन्द कुमार को पड़ोस का सोनू अभियुक्त के दरवाजे पर अपने पैसे लेने या बैनामा कर देने के लिए कहा तो अभियुक्त नाराज होकर प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करके पासी पसेटा साले आदि की गाली देते हुये कहे कि दरवाजे से भाग जाओं नही, तो जान से मार डालेगे,

मना करने पर अभियुक्त, प्रार्थी को हाथ में लोहे के राड़ लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिया, साथ में गये व पास पड़ोस के लोग घटना को देखा व बीच बचाव किया। प्रार्थी घटना की सूचना थाना भदोही में दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नही हुयी, तो इसकी सूचना जरिए डाक पुलिस अधीक्षक, भदोही को दिया, फिर भी कोई कार्यवाही नही हुयी तो उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल करने की आवश्यकता हुयी। अंत में उपरोक्त आधारों को व्यक्त करते हुये याचना की गयी कि थाना कोतवाली, भदोही को आदेशित किया जाए कि वे मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करे।

3. प्रार्थी की ओर से सूची के माध्यम से अभिलेखीय साक्ष्य में एक अदद आधार कार्ड की छाया प्रति तथा पुलिस अधीक्षक, भदोही को दिये गये प्रार्थनापत्र की फोटो प्रति, रजिस्ट्री रसीद,विक्रय अनुबंध की छायाप्रति दिनांकित 09.12.2022, विक्रय पूर्ण करने हेतु नोटिस दिनांक 22.11.2025 की छायाप्रति, रजिस्ट्री में उपस्थिति रसीद दिनांकित 06.12.2025 की छायाप्रति, रजिस्टर्ड डाक रसीद दिनांक 24.11.2025 की छाया प्रति, खतौनी की छाया प्रति व जाति प्रमाण–पत्र दाखिल की गयी है।

4. प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना भदोही जिला भदोही द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में कोई अभियोग स्थानीय थाने में दर्ज नही है।

5. समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रार्थी के स्वयं के संज्ञान में है, जिन्हें वह अपने साक्ष्य के माध्यम से स्वतः सिद्ध करने में सक्षम है। अतः प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ0प्र0 राज्य, ए.आई.आर. 2015 सुप्रीम कोर्ट 1758 एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2001(43) ए.सी.सी. 201 तथा निर्णयज विधि सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2007(59) ए.सी.सी.739 में प्रदत्त विधि के प्रकाश में प्रकरण में किसी विशिष्ट संस्था के माध्यम से जॉच कराये जाने का समुचित आधार नहीं है, वरन् प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर तदनुसार कार्यवाही संचालित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी शिवकुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 19.06.2026 को पेश हो।

(डॉ0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट)
भदोही ज्ञानपुर।
JO Code–UP1523

दिनांक 29.05.2026

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.05.30 07:34:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court